प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इसमें 'कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.एस.), 2008' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम अंतर्विष्ट हैं।

वर्ष 2008–09 में भारत सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना की घोषणा की, जिसका कार्यान्वयन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थानों के साथ–साथ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाना था।

योजना की देशव्यापी प्रकृति, विशाल वित्तीय परिव्यय तथा लाभार्थियों की भारी संख्या ने इसे एक महत्त्वाकांक्षी योजना बनाया। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई थी।